तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ(मु0बीकानेर) **श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य** **उपस्थित :** श्री राजेश वैद, अभिभाषक प्रार्थी । श्री रामसुख चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक **आदेश** हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–84 न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–3–06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि चक 18 केवाईडी तहसील खाजुवाला के मुरब्बा नंबर 97/46 किता नं0 1 ता 6 तादादी 5 बीधा 18 बिस्वा कमाण्ड प्रार्थीगण के पति/पिता स्व0 रामरतन की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है। स्व0 रामरतन की मृत्यु के बाद विवादित आराजी प्रार्थीगण के नाम जरिये इंतकाल नंबर 133 दर्ज की गई। उक्त इंतकाल के विरूद्ध अप्रार्थी शांतिदेवी द्वारा उपखंड अधिकारी खाजुवाला के यहां अपील प्रस्तुत की। उपखंड अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 3–8–05 द्वारा नामांतरकरण संख्या 133 निरस्त दिया। जिसकी द्वितीय अपील प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर के यहां प्रस्तुत की गई। उक्त द्वितीय अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 21–3–06 द्वारा खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी ज्ञापन में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि विवादित आराजी प्रार्थीगण के पति/पिता स्व0 रामरतन की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है। स्व0 रामरतन की मृत्यु के बाद विवादित आराजी प्रार्थीगण के नाम जरिये इंतकाल नंबर 133 दर्ज की गई। प्रार्थी सं. 2 नाबालिग होने के कारण उसके	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	विरूद्ध एकतरफा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी शांतिदेवी को पहले ही उसके हिस्से की आराजी दे दी गई थी। पुरा रकबा 25 बीधा का था जिसमें विवादित आराजी के अलावा रामरतन के भाई व पिता व माता के हिस्से में रही केवल 5 बीधा 18 बिस्वा प्रार्थीगण व स्व. रामरतन के हिस्से में रहीं। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी में अप्रार्थी शांतिदेवी का कोई हक हिस्सा नहीं था। किंतु उक्त समस्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं को दोनों अधनीस्थ न्यायालयो ने नजरअदांज करते हुये गैर कानूनी रूप से तथा विधिक प्रावधानों को समझे बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर निगरानी स्वीकार की जावे। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उपरोक्त तथ्यों का विरोध करते हुये कहा कि विवादित आराजी स्व0 रामरतन की खातेदारी की भूमि होने से उसके समस्त विधिक वारिसान उसमें हक व हिस्सा रखते है। अप्रार्थी शांतिदेवी मृतक की मां है जिनका विवादित आराजी में बराबर हक व हिस्सा है। उपखंड अधिकारी ने नामांतरकरण निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः निगरानी चलने योग्य नहीं है। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया । चक 18 केवाईडी तहसील खाजुवाला के मुरब्बा नंबर 97/46 किता नं0 1 ता 6 तादादी 5 बीधा 18 बिस्वा कमाण्ड स्व0 रामरतन की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि होना तथा प्रार्थीगण स्व0 रामरतन की पत्नि व पुत्री है तथा अप्रार्थी शान्ति देवी स्व0 रामरतन की माता होना स्पष्ट है। विवादित आराजी प्रार्थीगण के नाम जरिये इंतकाल नंबर 133	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	दिनांक 5–3–03 दर्ज की गई। उक्त नामांतरकरण अप्रार्थी शांतिदेवी जो कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत स्व0 श्री रामरतन की प्रथम श्रेणी की वारिस है, को बिना नोटिस दिये एकतरफा दर्ज किया है। विवादित आराजी में अप्रार्थी शांतिदेवी का प्रार्थीगण के साथ साथ मृतक स्व0 श्री रामरतन की माता प्रथम श्रेणी की वारिस होने की हैसियत से बराबर का हक व हिस्सा निहित है। ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी ने विवादित आराजी में अप्रार्थी शांतिदेवी का भी बराबर हिस्सा मानते हुये हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 व 10 के प्रकाश में विवादित नामांतरकरण सं.133 निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा भी दिनांक 21–3–06 के निर्णय में समवर्ती निष्कर्ष दिये है और उपखंड अधिकारी के निर्णय को यथावत रखा है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः निगरानी खारिज योग्य है। परिणामतः हस्तगत् निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । (आर.के.जायसवाल) सदस्य	

निगरानी / एलआर 4170 / 2006/ जिला गंगानगर
सुनीता वगैरह बनाम शांतिदेवी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए